रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2012/ज्येष्ठ 15, 1934
No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2012/JYAISTHA 15, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

सा.का.नि. 427(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खण्ड (त्र) और खण्ड (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये नियम यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 में ,-

(क) नियम 5 को उसके उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" (2) जब खुदरा विक्रय के लिए आशयित एक या अधिक पैकेजों को संवर्धन प्रस्थापना हेतु फुटकर पैकेज के रूप में विक्रय किए जाने के लिए एक साथ समूहबद्ध किया जाता है, तो उस समूह का प्रत्येक पैकेज नियम 6 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

(3) द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनिर्माता या आयातकर्ता मूल्य आधारित पैकेजों का विक्रय नियम 6 में विनिर्दिष्ट अन्य घोषणाएं करने के

पश्चात्, 1/- रुपए, 2/- रुपए, 3/- रुपए, 4/- रुपए, 5/- रुपए, 6/- रुपए, 7/- रुपए, 8/- रुपए, 9/- रुपए और 10/- रुपए के निबन्धनों के अनुसार कर सकता है।

(ख) नियम 6 में,-

(i) उपनियम (1) में "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 को 34)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (6) के पश्चात्, 1 जनवरी, 2013 से निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (7) प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें आनुवांशिक रूप से उपांतरित खाद्य है, उसके प्रमुख प्रदर्श पैनल पर सबसे ऊपर 'जी एम' शब्द लिखे होने चाहिए"।

(ग) नियम 33 को उसके उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) केन्द्रीय सरकार, आवेदन में कथित मामले की प्रामाणिकता को अभिनिश्चित करने के पश्चात् नियमों को शिथिल करते हुए किसी विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट से भिन्न पैकेजों को पैक करने या उनका विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी"।

(घ) द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्

द्वितीय अनुसूची

(नियम 5 देखें)

विनिर्दिष्ट मात्राओं में पैक की जाने वाली वस्तुएं

निम्नलिखित वस्तुएं भार, माप या संख्या के अनुसार ऐसी मात्रा में पैक की जाएंगी जो उनके सामने दी गई तत्सम्बंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं:

क्र0सं0	वस्तु	वह मात्रा जिसमें वह पैक की जानी है
(1)	(2)	(3)
1.	बाल आहार	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 100ग्रा0, 200 ग्रा0, 300 ग्रा0,350 ग्रा0 400 ग्रा0, 450 ग्रा0, 500 ग्रा0, 600 ग्रा0, 700 ग्रा0, 800 ग्रा0, 900 ग्रा0, 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा., 5 कि.ग्रा., और 10 कि.ग्रा.,
2.	छोटे बच्चे का आहार	50 ग्राम से नीचे कोई प्रतिबंध नहीं है, 50 ग्रा0, 100ग्रा0, 200 ग्रा0, 300 ग्रा0, 400 ग्रा0, 500 ग्रा0, 600 ग्रा0, 700 ग्रा0, 800 ग्रा0, 900 ग्रा0, 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा., 5 कि.ग्रा., और 10 कि.ग्रा.,
3.	बिस्कुट	25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 60 ग्रा0, 75ग्रा0, 100ग्रा0, 120 ग्रा0, 150 ग्रा0, 200 ग्रा0, 250 ग्रा0, 300 ग्रा0, और उसके

		पश्चात् 100 ग्रा. के गुणज में 1 कि.ग्रा. तक और उसके पश्चात् 500 ग्रा. के गुणज में 5 कि.ग्रा. तक।
4.	ब्रेड जिसके अन्तर्गत ब्राऊन ब्रेड भी है किन्तु बन नहीं है	50 ग्राम और उसके पश्चात् 50 ग्राम के गुणज में 500 ग्राम तक और 500 ग्राम से ऊपर 100 ग्राम के गुणज में।
5.	मक्खन और मार्गरीन के टीनबंद रहित पैकेज	25 ग्राम तक कोई प्रतिबंध नहीं है, 25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 100 ग्रा0, 200ग्रा0, 500ग्रा0, 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा. और उसके पश्चात् 5 कि.ग्रा. के गुणज में।
6.	अनाज और दालें	100 ग्राम तक कोई प्रतिबंध नहीं है, 100 ग्रा0, 200ग्रा0, 500ग्रा0, 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा. और उसके पश्चात् 5 कि.ग्रा. के गुणज में।
7.	काफी	25 ग्राम से नीचे कोई प्रतिबंध नहीं, 25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 75 ग्रा0, 100ग्रा0, 150ग्रा0, 200 ग्रा., 250 ग्रा., 500 ग्रा. 1 कि.ग्रा., 1.5 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा. और उसके पश्चात् 1 कि0 ग्रा0 के गुणज में।
8.	चाय	25 ग्राम से नीचे कोई प्रतिबंध नहीं, 25 ग्रा0, 50 ग्रा0, 100ग्रा0, 125ग्रा0, 250 ग्रा., 500 ग्रा. 1 कि.ग्रा., और उसके पश्चात् 1 कि0 ग्रा0 के गुणज में।
9.	पदार्थ जिन्हें पेय के रूप में संघटित अथवा पुनः संघटित किया जा सकता है।	50 ग्राम तक कोई प्रतिबंध नहीं, 50ग्रा., 75 ग्रा., 100ग्रा., 200ग्रा., 250 ग्रा., 400 ग्रा., 450 ग्रा., 500ग्रा., 750 ग्रा. 1 कि.ग्रा. और उसके पश्चात् 1 कि.ग्रा. के गुणज में। (56 ग्राम और 61 ग्राम केवल चिकित्सीय प्रयोजन के लिए)
10.	खाद्य तेल, वनस्पति, घी, बटर आयल	50ग्रा., 100ग्रा., 200ग्रा.,250ग्रा. 500ग्रा., 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा., 3 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा. और उसके पश्चात् 5 कि.ग्रा. के गुणज में। यदि शुद्ध मात्रा परिमाण में घोषित की जाती है तो 50 मि.ली., 100 मि.ली., 200 मि.ली., 250 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर और उसके पश्चात् 5 लीटर,के गुणज में और द्रव्यमान द्वारा शुद्ध मात्रा की घोषणा समान अक्षरों/संख्याओं के आकार में किया जाएगा।
11.	मिल्क पाउडर	50 ग्रा. से कम पर कोई प्रतिबंध नहीं, 50ग्रा., 150 ग्रा., 200ग्रा.,250ग्रा., 500ग्रा.,1 कि.ग्रा. और उसके पश्चात

		500ग्रा. के गुणज में।
12.	साबुन – रहित डिटर्जेन्ट (पाउडर)	50 ग्रा. से कम पर कोई प्रतिबंध नहीं, 50ग्रा., 75ग्रा., 100 ग्रा., 150 ग्रा., 200ग्रा., 250 ग्रा., 500ग्रा. 700ग्रा., 750 ग्रा., 1 कि.ग्रा., 1.5कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा., और उसके पश्चात् 1 कि.ग्रा., के गुणज में।
13.	चावल (चूरा) आटा, रवा और सूजी	10 ग्रा., 200ग्रा., 500ग्रा., 1 कि.ग्रा., 1.25 कि0ग्रा0, 1.5 कि0ग्रा0, 1.75 कि0ग्रा0, 2 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा. और उसके पश्चात् 5 कि.ग्रा. के गुणज में।
14.	नमक	50 ग्रा. से कम, 10 ग्रा. के गुणज में, 50ग्रा., 100 ग्रा., 200ग्रा., 500ग्रा., 750 ग्रा., 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा., 5 कि.ग्रा. और उसके पश्चात् 5 कि.ग्रा., के गुणज में।
15.	साबुन	
	(क) लांड्री साबुन	25 ग्रा., 50ग्रा., 75ग्रा., 100ग्रा., 125ग्रा., 150 ग्रा. और उसके पश्चात् 50 ग्रा. के गुणज में।
	(ख) गैर-सोपी डिटरजेंट टिकिया/ बार	50 ग्राम से कम पर कोई प्रतिबंध नहीं, 50ग्रा., 75ग्रा., 100ग्रा., 125ग्रा., 150 ग्रा., 200ग्रा., 250ग्रा., 300ग्रा. और उसके पश्चात् 100 ग्रा. के गुणज में ।
	(ग) टॉयलेट साबुन, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार का नहाने का साबुन (टिकिया) भी है	15 ग्रा., 25 ग्रा., 50ग्रा., 60ग्रा., 75ग्रा., 100ग्रा., 125ग्रा., 150 ग्रा. और उसके पश्चात् 50 ग्रा. के गुणज में।
16.	एरियेटड साफ्ट ड्रिंक, गैर अल्कोहॉलिक पेय	65 मि.ली.(केवल फ्रूट आधारित पेय) 100 मि.ली., 125 मि.ली., (केवल फ्रूट आधारित पेय) 150 मि.ली., 160 मि.ली., 175 मि.ली., 180मि.ली., 200 मि.ली., 250 मि.ली.,300 मि.ली., 330 मि.ली.,(केवल केन में), 350 मि.ली., 400 मि.ली., 475 मि.ली., 500 मि.ली., 600 मि.ली., 750 मि.ली., 1 लीटर, 1.2 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 1.75 लीटर, 2 लीटर, 2.25 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर एवं 5 लीटर।
17.	मिनरल वाटर और पेय जल	100 मि.ली., 150मि.ली., 200 मि.ली., 250 मि.ली.,300 मि.ली., 500 मि.ली.,750 मि.ली., 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर और 5 लीटर के गुणज

		में।
19.	पेंट वार्निश आदि : (क) पेंट(पेस्ट पेंट अथवा ठोस पेंट से भिन्न) वार्निश, वार्निश स्टेन्स, एनेमल्स	50 मि.ली., 100मि.ली., 200 मि.ली., 500 मि.ली.,1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर और उसके पश्चात् 5 लीटर के गुणज में।
	(ख) पेस्ट पेंट अथवा ठोस पेंट	500ग्रा., 1 कि.ग्रा. 1.5 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा. 3 कि.ग्रा., 5 कि.ग्रा., 7 कि.ग्रा., और उसके पश्चात् 5 कि.ग्रा. के गुणज में।
	(ग) बेस पेंट	100 मि.ली., 250 मि.ली., 400 मि.ली., 450 मि.ली., 500 मि.ली., 900 मि.ली., 925 मि.ली., 950 मि.ली., 975 मि.ली., 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2.0 लीटर, 2.5 लीटर, 3.5 लीटर, 3.6 लीटर, 3.7 लीटर, 3.8 लीटर, 3.9 लीटर, 4 लीटर एवं 4 लीटर से अधिक पर कोई प्रतिबंध नहीं ।

(ङ.) चतुर्थ अनुसूची में क्रम संख्यांक 15 के सामने स्तंभ 3 की प्रविष्टि में 'बाट या परिमाण' रखा जाएगा।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-11(13)/2010]

राजीव अग्रवाल, सचिव.

टिप्पणी : मुख्य नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ.), तारीख 7 मार्च, 2011 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार तारीख 24 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 784(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2012

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2012.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2027 GI/12-2

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011,-

(a) rule 5 shall be numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so numbered the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(2) When one or more packages intended for retail sale are grouped together for being sold as a retail package on promotional offer, every package of the group shall comply with provisions of rule 6.

(3) Notwithstanding anything contained in the Second Schedule, the manufacturer or importer may sell the value based package in terms of Rs.1/-, Rs.2/-, Rs.3/-, Rs.4/-, Rs.5/-, Rs.6/-, Rs.7/-, Rs.8/-, Rs.9/- and Rs.10/- after making the other declarations specified in rule 6."

(b) in rule 6,-

(i) in sub-rule (1), for the words "Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954)" the words "Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006)" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, with effect from 1st day of January, 2013, namely:-

'(7) Every package containing the genetically modified food shall bear at the top of its principal display panel the words "GM".'

(c) rule 33 shall be numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so numbered the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) The Central Government may, after ascertaining the genuineness of a case stated in the application permit a manufacturer or packer or importer to pack or sell of the packages other than specified in the Second Schedule for a maximum period of one year by relaxing the rules."

(d) for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"THE SECOND SCHEDULE

(See rule 5)

Commodities to be packed in specified quantities

The following commodities shall be packed in such quantities by weight, measure or number as are specified in the corresponding entries against them.

Sl. No.	Commodities	Quantities in which to be packed
1.	2.	3.
1.	Baby food	25g, 50g, 100g, 200g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 600,g, 700 g, 800 g, 900g, 1 kg, 2kg, 5 kg and 10 kg.

2.	Weaning food.	Below 50g no restriction, 50 g, 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1 kg, 2 kg, 5 kg and 10 kg.
3.	Biscuits	25g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g, 200g, 250g, 300g, thereafter in multiples of 100g up to 1 kg and thereafter in multiples of 500g up to 5 kg.
4.	Bread including brown bread but excluding bun.	50g and there after in of multiples 50g upto 500g and above 500g in the multiples of 100g.
5.	Un-canned packages of butter and margarine	Below 25g no restriction, 25 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, and thereafter in multiples of 5 kg.
6.	Cereals and Pulses	Below 100g no restriction, 100g, 200g, 500g, 1 kg, 2 kg, 5 kg and thereafter multiples of 5 kg
7.	Coffee	Below 25g no restriction, 25g, 50g, 75g, 100g, 150g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 1.5kg, 2kg and thereafter in multiples of 1kg.
8.	Tea	Below 25g no restriction, 25g, 50g, 100g, 125g 250g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 1kg.
9.	Materials which may be constituted or reconstituted as beverages.	Below 50g no restriction, 50 g, 75g, 100 g, 200 g, 250g, 400g, 450g, 500 g, 750g, 1 kg and thereafter in multiples of 1 kg. (56g and 61g for medical purpose only)
10	Edible Oils Vanaspati, ghee, butter oil	50 g, 100 g, 200 g, 250g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg and thereafter in multiples of 5 kg. If net quantity is declared by volume then 50ml, 100ml, 200ml, 250ml, 500ml, 1 litre, 2 litre, 3 litre, 5 litre and thereafter in multiple of 5 litre and the net quantity must be declared by mass also in the same size of letters/ numerals
11.	Milk Powder.	Below 50g no restriction, 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 500 g, 1 kg and thereafter in multiples of 500 g.
12.	Non-soapy detergents (powder)	Below 50 g no restriction, 50g, 75g, 100g, 150g, 200g, 250g, 500g, 700g, 750g, 1kg, 1.5 kg, 2 kg and thereafter, in multiples of 1 kg.

IndiaCode

13.	Rice(powdered), flour, atta, rawa and suji.	100g, 200g, 500g, 1kg, 1.25kg, 1.5kg, 1.75kg, 2kg, 5 kg and thereafter in multiples of 5 kg.
14.	Salt	Below 50g in multiples of 10g, 50g, 100g, 200g, 500g, 750g, 1 kg, 2 kg, 5 kg and thereafter in multiples of 5 kg.
15.	Soaps	
	(a) Laundry Soap	25g, 50g, 75g, 100g, 125g, 150g and thereafter in multiples of 50g.
	(b) Non-soapy detergent cakes/ bars.	Below 50g no restriction, 50g, 75g, 100g, 125g, 150g, 200g, 250g, 300g and thereafter in multiples of 100g
	(c) Toilet Soap including all kinds of bath soap (cakes).	15g, 25g, 50g, 60g, 75g, 100g, 125g, 150g and thereafter in multiples of 50g.
16.	Aerated soft drinks, non-alcoholic beverages.	65 ml (fruit based drinks only), 100 ml, 125ml(fruit based drinks only), 150 ml, 160ml, 175ml, 180ml, 200 ml, 240ml, 250 ml, 300 ml, 330ml(in cans only), 350ml, 400ml, 475ml, 500 ml, 600ml, 750 ml, 1 litre, 1.2 litre, 1.25 litre, 1.5 litre, 1.75 litre, 2 litre, 2.25 litre, 2.5 litre, 3 litre, 4 litre and 5 litre.
17.	Mineral water and drinking water	100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litre, 1.5 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre, 5 litre and in multiples of 5 litre.
18.	Cement in bags.	1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 40 kg (for White cement only) and 50 kg.
19.	Paint varnish etc.	
	(a) Paint (other than paste paint or solid paint) varnish, varnish stains, enamels.	50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre, 5 litre and thereafter in multiples of 5 litre.
	(b) Paste paint and solid paint	500g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 7kg and thereafter multiple of 5 kg.

	(c) Base paint:	100ml, 250ml, 400ml, 450 ml, 500 ml, 900 ml, 925 ml, 950 ml, 975 ml, 1 litre, 1.5 litre, 2.0 litre, 2.5 litre, 3.5 litre, 3.6 litre, 3.7 litre, 3.8 litre, 3.9 litre and 4 litre and no restriction above 4 litre.

"

(e) in the Fourth Schedule, against serial number 15, for the entry in column 3 the entry "weight or volume" shall be substituted.

[F. No. WM-11(13)/2010]

RAJIV AGARWAL, Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide, notification number G.S.R.202(E), dated 7th March, 2011 and last amended, vide, notification number G.S.R. 784 (E), dated 24th October, 2011.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.